पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 214
दिनांक- 04.02.2026

जोन- मध्य / थाना हजरतगंज

- **थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**
- **01 अदद अवैध तमंचा व बैग बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.02.2026 को थाना हजरतगंज क्षेत्र में स्थित के.डी.सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के बैग से .315 बोर अवैध तमंचा पाया गया। जिस पर मौके पर चौकी प्रभारी उ0नि0 अंकित कुमार मौके पर पहुचे। मौके पर मेट्रो सुरक्षा कर्मियों द्वारा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया जिसे नियमानुसार मय .315 बोर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया।

शिकायतकर्ता / उ0नि0 अंकित कुमार द्वारा दिये गये फर्द गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अक्षत कनौजिया पुत्र दिलीप कुमार कनौजिया निवासी वृदावन कालोनी लखनऊ दिलकुशा थाना पी0जी0आई लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 आदर्श सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से तमंचा मिला था जिसे लेकर वह मेट्रो से जा रहा था जहां पर X-Ray मशीन में स्कैन करने पर पकड़ा गया।

03-अपराध का तरीका-

.315 बोर अवैध तमंचा अभियुक्त के पास से बरामद हुआ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-अक्षत कनौजिया पुत्र दिलीप कुमार कनौजिया निवासी वृदावन कालोनी लखनऊ दिलकुशा थाना पीजीआई लखनऊ उम्र 19 वर्ष (छात्र)

05-बरामदगी-

- 01 अदद .315 बोर अवैध तमंचा
- 01 अदद बैग

06-पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 21/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हजरतगंज पुलिस कमि0 लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

07-गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अंकित कुमार चौकी प्रभारी तुलसी थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 विशाल पाण्डेय चौकी प्रभारी स्टेडियम थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 सुनील यादव हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0

"जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं।"

दिनांक- 04.02.2026

थाना महानगर की पिंक बूथ 56 टीम द्वारा बुद्ध बाजार में भ्रमणशील रहकर महिलाओं और स्कूली बच्चो को महिला अपराध, साइबर क्राइम व यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अपराध व अपराध से बचाव को लेकर किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

पिंक बूथ 56 टीम द्वारा बुद्ध बाजार में भ्रमणशील होकर मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला हे0का0 रेनू, पिक बूथ 56 थाना महानगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- पिंक बूथ 56 टीम द्वारा बुद्ध बाजार, महानगर भ्रमणशील होकर

प्रतिभाग-

- महिला हे0का0 रेनू, पिक बूथ 56 थाना महानगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 एकता, पिक बूथ 56 थाना महानगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- पिंक बूथ 56 टीम द्वारा बुद्ध बाजार महानगर में भ्रमणशील होकर करीब 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को किया जागरूक ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पिंक बूथ 56 थाना महानगर, लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, दिनांक 04.02.2026 को बुद्ध बाजार, महानगर में भ्रमणशील होकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 20-25 महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को अपराध, साइबर अपराध से बचाव, सी.ई.आई.आर. पोर्टल, यूपी कॉप ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए सभी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों - जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवाएं), 108 (एम्बुलेंस), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन) - से अवगत कराया गया। महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका को समझाया गया तथा बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

सभी को अपराध व अपराध से बचाव को लेकर जागरूक भी किया। उन्होंने छात्राओं को बताया कि डरने से अपराध कम नहीं होता है। अगर कहीं कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है तो फौरन शिकायत करें। हर सड़क पर पुलिस मौजूद है। पिंक बूथ बने हैं। बस जरूरत है समय पर अपराध के बारे में सूचना देने की। छात्राओं को मदद के लिए 1090 और 112 पर किसी भी मुश्किल समय में कॉल करने के लिए बताया। यह भी बताया कि 1090 पर कॉल करने पर उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य-

महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ, संवेदनशील और अनुकूल सहायता केंद्र प्रदान करना है, जहाँ वे आसानी से पहुँच सकें और बिना किसी झिझक या भय के अपनी समस्याओं व शिकायतों को दर्ज करा सकें। इसे विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. महिला-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना: पिंक बूथ को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ महिलाएँ और बच्चे स्वयं को सुरक्षित और सहज महसूस करें। यह पारंपरिक पुलिस थानों की तुलना में कम डरावना और अधिक सहायक माहौल प्रदान करता है।
2. विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यबल: इन बूथों पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, मनोवैज्ञानिक समर्थन और संवेदनशील संचार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई: ये बूथ शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इन्हें मिशन शक्ति के अन्य घटकों जैसे एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्र और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (1090, 112, 181 आदि) से सीधे जोड़ा जाता है, ताकि तुरंत सहायता भेजी जा सके।
4. जागरूकता और रोकथाम: पिंक बूथ न केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों (जैसे- ऑनलाइन उत्पीड़न, फ़िशिंग आदि) के खतरों से बचाव के तरीकों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना भी इनका एक उद्देश्य है।

पिंक बूथ का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में महिलाओं के प्रति विश्वास और पहुँच बढ़ाना है। यह केवल एक शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि एक समर्पित सहायता प्रणाली है जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 04.02.2026

मिशन शक्ति 5.0- आत्मनिर्भर नारी, सुरक्षित कल की तैयारी।

थाना अलीगंज क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और उसके आसपास मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को थाने पर स्थित महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर टीम ने बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए जागरूक और प्रेरित किया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजन स्थल

- ✓ म0उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ उपनिरीक्षक रवींद्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ **थाना अलीगंज** क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और उसके आसपास।

प्रतिभाग-

- ➢ म0उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ➢ म0उ0नि0 आशी गुप्ता, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ➢ उपनिरीक्षक रवींद्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- ➢ **थाना अलीगंज** क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और उसके आसपास मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक **04.02.2026** को लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। **थाना अलीगंज** क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में आयोजित इस विशेष जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए पुलिस की विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं जैसे **112 (आपातकालीन सेवा)**, **1090 (वुमेन पावर लाइन)**, **181 (महिला हेल्पलाइन)** और **1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)** के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही, महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा संचालित **महिला हेल्प डेस्क**, **पिंक बूथ**, **पिंक स्कूटी गश्ती** और **महिला सुरक्षा केंद्रों** की कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत कराया गया ताकि वे किसी भी विषम परिस्थिति में बिना किसी हिचकिचाहट के सहायता प्राप्त कर सकें।

वर्तमान डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए, टीम ने **साइबर अपराधों** से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। नागरिकों को **यूपी कॉप एप** के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल **हेल्पलाइन नंबर 1930** पर सूचना देने के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

वर्तमान डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए, टीम ने **साइबर अपराधों** से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। नागरिकों को **यूपी कॉप एप** के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल **हेल्पलाइन नंबर 1930** पर सूचना देने के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्यः

- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्षः

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-212
दिनांक- 04.02.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का मात्र 24 घण्टों में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **आलाकत्ल 01 अदद ईट, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।**
- **श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा घटना अनावरण करने वाली टीम को 15,000/-रू. के पुरस्कार की घोषणा की गयी।**

01-कार्यवाही:-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा युवक की **हत्या की** घटना का मात्र 24 घण्टों में सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये 1. सुशील पुत्र स्व0 जगदेव निवासी ग्राम कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ 2. दीपक कुमार पुत्र रामाधार निवासी ग्राम बुद्धूखेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ **ग्राम बुद्धूखेड़ा बरौना** से गिरफ्तार कर आलाक्तल 01 अदद ईंट, घटना में प्रयुक्त वाहन 01 अदद मोटरसाइकिल UP 32 PR5066 (स्पेलेण्डर प्लस) बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.02.2026 को प्रातः 08.27 बजे थाना सुशान्त गोल्फ सिटी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे मृत पड़ा है, सूचना मिलने के बाद तत्काल थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारीण द्वारा मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पीएम की कार्यवाही पूर्ण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।

दिनांक 03.02.2026 को वादी श्री मस्तराम पुत्र दुलारे निवासी ग्राम चौरासी पोस्ट महमूदपुर लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षी द्वारा वादी के भाई सन्तराम को अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में ईंट से मार देना वादी के भाई सन्तरामकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पर मु0अ0सं0-063/2026, धारा-103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा 15-20 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, टेक्निकल व मैनुएल साक्ष्यो एवं मुखबिर खास द्वारा पहचान करवाने पर घटना मे शामिल संदिग्ध मोटरसाईकिल UP32PR5066 स्पलेंडर प्लस रंग काला व दो संदिग्ध व्यक्तियो के बारे मे जानकारी मिली कि यह मोटरसाईकिल दीपक निवासी बुद्धुखेड़ा की है जो मुल्लाखेड़ा के रहने वाले सुशील का रिश्तेदार है और उसके साथ ही आता जाता है। टीमों द्वारा दीपक के घर बुद्धूखेड़ा पर दबिश दी गयी घर के बाहर की मढ़इया में सो रहे दोनो अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया।

03-पूछतांछ विवरणः-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 02.02.2026 की रात में दोनो अभियुक्तों नें बहुत ज्यादा शराब पी लिया था। रात में करीब-11.30,बजे अपनी मोटरसाईकिल से मुल्लाखेड़ा जा रहे थे कि रास्ते में सन्तराम जोकि साईकिल से आ रहा था । अभियुक्तों की मोटरसाईकिल से छू गया तो सन्तराम मां बहन की गाली देते हुए आगे चला गया जिसके बाद अभियुक्तगणों ने मोटरसाईकिल मोड़कर वापस सन्तराम के पास जाकर उसे रास्ते में रोक लिया एवं नशे में उसे ईंट व लात घूंसो से मारकर सड़क से घसीट कर बगल के खाली प्लाट में डाल दिया एवं उसके बाद अभियुक्तगण वहाँ से भागकर बुद्धूखेड़ा आ गये। घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल के बारे में पूछने पर दीपक आगे चल कर मढ़इया के बगल में खड़ी हुई मोटरसाईकिल UP 32 PR 5066 स्पलेंडर प्लस रंग काला को बरामद करवाया गया ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. सुशील पुत्र स्व0 जगदेव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।
2. दीपक कुमार पुत्र रामाधार उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बुद्धूखेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

05-पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0-63/2026, धारा-103(1) बीएनएसथाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ ।

06-कारण हत्याः-

अभियुक्तों से मृतक की कहासुनी व गाली गलौज हो जाने के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा हत्या की गयी ।

07-बरामदगीः-

- आलाकत्ल 01 अदद ईंट,
- घटना में प्रयुक्त वाहन 01 अदद मोटरसाइकिल UP 32 PR 5066 (स्पेलेण्डर प्लस) बरामद ।

08-व्यवसायः-

- अभि0 सुशील मजदूरी का काम करता है ।
- अभि0 दीपक मजदूरी का काम करता है ।

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ पुलिस टीम ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 213
दिनांक- 04.02.2026

- **गैंगेस्टर अभियुक्त गैंग लीडर रितिक अवस्थी की मु0 1,34,005.22/- (एक लाख चौंतीस हजार पाँच रुपये बाइस पैसे) की सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का पारित किया गया आदेश-**

शातिर अभियुक्त गैंग लीडर रितिक अवस्थी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र दिनेश अवस्थी निवासी ई-2/563 विनयखण्ड, थाना गोमतीनगर, लखनऊ व म0नं0 1/63 विनम्र खण्ड, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ मूल पता- बछरावाँ रेलवे स्टेशन के सामने, थाना बछरावाँ, जनपद रायबरेली द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्ति मु0- 1,34,005.22/- (एक लाख चौंतीस हजार पाँच रुपये बाइस पैसे) को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया, कि अभियुक्त गैंग लीडर रितिक अवस्थी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र दिनेश अवस्थी निवासी ई-2/563 विनयखण्ड, थाना गोमतीनगर, लखनऊ व म0नं0 1/63 विनम्र खण्ड, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ मूल पता- बछरावाँ रेलवे स्टेशन के सामने, थाना बछरावाँ, जनपद रायबरेली द्वारा अपराध के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित की गयी है, प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर विस्तार की रिपोर्ट पर संतुष्ट होकर **आज दिनांक 04.02.2026 को न्यायालय श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ** द्वारा अभियुक्त पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उसके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी अब तक चिन्हित कुल धनराशि **1,34,005.22 (एक लाख चौंतीस हजार पाँच रुपये बाइस पैसे)** है, को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त गैंग लीडर रितिक अवस्थी उपरोक्त के विरुद्ध अपने गैंग के साथ मिलकर प्रतिरूपण द्वारा छल करना, छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मूल्यवान प्रतिभूति की छल के प्रयोजन से कूटरचना, कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग में लाना, तोड़फोड़, गृह अतिचार, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देना, जबरन घर में घुसकर महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, जबरन वसूली आदि प्रकार के अपराध कारित किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर, चिनहट व अलीगंज, लखनऊ पर 08 अभियोग वर्ष 2019 से लेकर अब तक दर्ज हुए हैं। अभियुक्त धीरे-धीरे सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध करना प्रारम्भ कर दिया और अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधों को कारित कर सम्पत्ति अर्जित की गयी है।

अभियुक्त द्वारा उक्त अपराधों को कारित कर अपने नाम विभिन्न खातों में वर्तमान में कुल **1,34,005.22/- (एक लाख चौंतीस हजार पाँच रुपये बाइस पैसे)** है, जमा किया गया है, उक्त धनराशि के अर्जन का अभियुक्त के पास अपराध कर अर्जित करने के अलावा अन्य कोई आय का ज्ञात वैध स्रोत नहीं है।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गैंग लीडर रितिक अवस्थी उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र दिनेश अवस्थी निवासी ई-2/563 विनयखण्ड, थाना गोमतीनगर, लखनऊ व म0नं0 1/63 विनम्र खण्ड, थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ मूल पता- बछरावाँ रेलवे स्टेशन के सामने, थाना बछरावाँ, जनपद रायबरेली व उसके गैंग का आपराधिक इतिहास निम्नवत् है-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	271/2019	420/467/468/471 IPC	गोमतीनगर
2.	1106/2019	147/427/448/506 IPC	गोमतीनगर
3.	1232/2019	452/323/427/504 IPC	गोमतीनगर
4.	1524/2019	452/354(ख)/384/504/506 IPC	गोमतीनगर
5.	262/2023	406/504/506 IPC	चिनहट
6.	267/2023	406/420/504/506 IPC	अलीगंज
7.	542/2024	316(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) BNS	गोमतीनगर
8.	15/2025	419/420/467/468/471/504/506 IPC	गोमतीनगर